राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

विविध प्रार्थना पत्र संख्याः— 84, 85, 86, 87, 88 व 89/2014...जिला—जयपुर।

उनवान— मैसर्स सिपला लिमिटेड, वी.के.आई.ए., जयपुर बनाम् वा.क.अ. प्रतिकरापवंचन, जोन—तृतीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.08.2014	**खण्डपीठ** **श्री.सुनील शर्मा, सदस्य** **श्री मदन लाल, सदस्य** उक्त विविध प्रार्थना पत्र, अपीलीय अधिकारी, तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ के प्रकरणों अपील संख्या 557 से 562/2014/जयपुर मैसर्स सिपला लिमिटेड, वी.के.आई.ए., जयपुर बनाम् वा.क.अ. प्रतिकरापवंचन, जोन—तृतीय, जयपुर निर्णय दिनांक 11.04.2014 के संबंध में प्रस्तुत कर, प्रकरणों के निस्तारण की समयावधि, बढ़ाने हेतु निवेदन किया गया है । विभाग की ओर से श्री सत्यनारायण शर्मा, सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन—तृतीय, जयपुर व व्यवहारी की ओर से शाखा प्रबंधक श्री जॉयदीप चकवर्ती, बहस हेतु दिनांक 30.07.2014 को उपस्थित हुये। उक्त प्रार्थना पत्रों के संबंध में व्यवहारी की ओर से प्रकरणों में समयावधि बढ़ाने के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं प्रकट की गयी । उभयपक्षीय बहस व अपीलीय अधिकारी, तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर विचार करने के पश्चात् न्यायहित में यह पीठ यह अनुभव करती है कि प्रकरणों के निस्तारण हेतु कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा निर्णय दिनांक 11.04.2014 के जरिये पूर्व में निर्धारित समय सीमा मय स्थगन पूर्व पारित आदेश दिनांक 11.04.2014 की शर्तानुसार को इस आदेश प्राप्ति के आगामी तीन माह अर्थात् 30.10.2014 तक बढ़ाया जाना उचित है। अतः अपील प्रकरणों के निस्तारण की समयसीमा दिनांक 30.10.2014 तक बढ़ायी जाती है । निर्णय सुनाया गया । 4.8.2014 (मदन लाल) सदस्य (सुनील शर्मा) सदस्य	